



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233, E-Mail dfobarkot@gmail.com, वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

पत्रांक- 605 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, अगस्त 30 2019।

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड पुरोला

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.581 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून की स्वीकृति संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/109/2018/एफ.सी./153 दिनांक 29.04.2019।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 1 तथा 2 के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र जो इस इस कार्यालय के पत्रांक -6348/12-1 दिनांक 28.05.2019 से प्रेषित किया गया था को शंसोधित करते हुए मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि मांग के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा की गई धनराशि के चालान की प्रमाणित छांया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1 से 6 तक की अनुपालन आख्या मय प्रमाण पत्रों के तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(प्रदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.581 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

क्र० सं०	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोण का क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक क 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.581 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।	9.581	5	0.2	1- प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दो गुने सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि	19.162	306531.00 प्रति हे०	5873747.02
					2- एन०पी०वी० की धनराशि	9.581	657000.00 प्रति हे०	6294717.00
	कुल योग		रु० एक करोड इक्कीस लाख अडसठ हजार चार सौ चौंसठ					12168464.00


(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

।।कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)।।

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 2560 / 12-1

दिनांक,

पुरोला, 23/05/2019।

सेवामें,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0सिंचाई खण्ड,
पुरोला उत्तरकाशी।

विषय :-

विषय- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से ग्राम-थली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.0925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) के पत्रांक सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/109/2018/एफ0सी0/153 दिनांक 29.04.2019 व आपके पत्रांक सं0-441/अधिशाली अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड दिनांक 22.05.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में वर्ष 2019-20 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु निर्धारित दरों व एन0पी0वी0 का भुगतान अपेक्षित है। संलग्न विवरण के अनुसार भुगतान कैम्पा कोष में जमा करवाने की कृपा करें।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0पी0मिश्रा)

उप वन संरक्षक,

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0पी0मिश्रा)

उप वन संरक्षक,

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

जनपद उत्तरकाशी के नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 20925 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०मे)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (हे० मे)	दर प्रति हे० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं०-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर के अनुसार	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FP/UK/ROAD/23445/2017	2.0925	5	0.5	1. NPV	2.0925	8,45,000/-	17,68,162.50
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय रख-रखाव हेतु					4.185	3,06,531/-	12,82,832.00	
2								
Total:-								30,50,994.50/-
Or Say:-					तीस लाख पचास हजार नौ सौ चौरानब्बे रुपये मात्र)			

(आर०पी०मिश्र)

उप वन संरक्षक,

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।